

FORM NO III

फर्द अहकाम
(निगम 20)

अर्ज अदालत उपखण्ड अधिकारी अराई

मुकाम अराई (अजमेर)

- विश्राम पुत्र भीशलाल जाति जाट आयु लगभग 44 साल निवासी ग्राम लाम्बा तहसील अराई जिला अजमेर राज ।
-प्रार्थीगण ।

बनाम

- धन्नालाल पुत्र भोगालाल आयु लगभग 65 साल जाति जाट निवासी ग्राम लाम्बा तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य
-अप्रार्थीगण ।

किस्म मुकदमा- धारा 212 राजा काठ अधि 1955 संपत्ति धारा 151 व्य.प्र.सं.

नंबर 31 / 2023

ऑनलाइन नंबर 2023 / 50...

वकील प्रार्थी :- भवानी सिंह

वकील प्रतिवादीगण.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
13.07.2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री भवानी सिंह ने अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. 1955 संपत्ति धारा 151 व्य.प्र.सं के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाये तथा अप्रार्थीगणों की तलबी जरिये सम्मन द्वारा की जाकर पत्रावली दिनांक 21.07.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराई	
21/7/23	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रतिवादीगणों के नोटिस प्राप्त जो साक्षि निर्मल / P.O. साक्षि निर्मल के द्वारा (पत्रावली) दिनांक 08/8/2023 को पेश हो।	
21/8/23	पत्रावली पेश हुई / वकील पदाकारन उप. / साक्षि निर्मल के नोटिस प्राप्त जो साक्षि निर्मल / P.O. साक्षि निर्मल के द्वारा (पत्रावली) दिनांक 15/9/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराई	
15/9/23	पत्रावली पेश हुई। वकील पदाकारन उपस्थित। P.O. साक्षि निर्मल कार्य/राजकार्य/दौरे/अधिकाशा पर पत्रावली पत्रावली पूर्व उतदेशानुसार दिनांक 15/9/23 को पेश हो।	

59/20
 1-2-2023
 पत्रावली दिनांक

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	तारीख व नम्बर अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी
06/09/2024	<p>C.No. 31/2023 वि-3117 प/3 दानालाल</p> <p>पत्रावली पेश हुई वकील उमयपन्न अग्रणी उपण वकील अग्रणी ने जवाब पेश किया जिसकी प्रति वकील अग्रणी को दी गई आज वार एसोसिएशन द्वारा अग्र स्थापन रखा गया पत्रावली 04/10/2024 को पेश हुई</p>	
04/10/24	<p>पत्रावली पेश हुई आज... दिनांक 04/10/24 को... की ओर से कार्य स्थापन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 04/10/24 को पेश हो।</p>	
08/11/2024	<p>पत्रावली पेश हुई वकील उमयपन्न अग्रणी वकील उमयपन्न की प्रा० पत्र अर्चाना वारा 22-11-24 वलकें निवेदन किया। पुरकारण में बावजूद तलबी अग्रणी 02 व 05 भुक्त है, उनके विरुद्ध एकपत्रिका कार्यवाही की जाती है। वकील उमयपन्न की प्रा० पत्र अर्चाना वारा 22-11-24 पर वलकें सुनी गई।</p> <p>वकील उमयपन्न ने निवेदन किया कि यदि उमयपन्न को मौका व रिकार्ड की प्रामाणिकता के लिए पावरड किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। अतः वकील उमयपन्न की सहमति के आधार पर वाडमधीन भूमि ग्राम लाम्बा रियल एवमरा मं. 1364, 1731, 1739, 1741, 324, 868 में मूल वाडके अस्तित्व निर्णय तक प्राथमिक एवं अग्रणी (उमयपन्न) को मौका मौका व रिकार्ड की प्रामाणिकता बनाये रखने के लिये अग्रणी निवेदन से पावरड किया जात गा। प्रा० पत्र पामल सुना (होका नम्बर) के फल</p>	

पत्रावली जारी कर
सुनाई मिथानी